

SEYID MUHAMMAD): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950."

The motion was adopted.

DR. V. A. SEYID MUHAMMAD: Sir, I introduce the Bill.

CONTINGENCY FUND OF INDIA (AMENDMENT) BILL*

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Contingency Fund of India Act, 1950.

MR. SPEAKER. The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Contingency Fund of India Act, 1950."

The motion was adopted

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI. Sir, I introduce the Bill.

12.05 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1976 AND MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (SECOND AMENDMENT) BILL—contd

MR. SPEAKER. Now, further discussion on the Resolution moved by Shri Somnath Chatterjee on the 12th August, 1976. Time allotted 4 hours, time taken 1 hour and 20 minutes, balance 2 hours and 40 minutes. At what time the Minister will speak?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU-RAMAIAH): The Minister may be called at 3 o'clock.

MR. SPEAKER: Shri Hari Singh to continue his speech.

श्री श्री सिंह (बु री): अध्यक्ष महोदय, कल जब इस बिल पर बर्खा हो रही थी, तो बिरोधी बल के कुछ वक्ताओं ने कहा कि श्रीता के द्वारा नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आजादी और प्रेस की आजादी छीन ली गई है। जो लोग आज नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आजादी का नारा लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा शान्तिप्रिय और भयमनसहत के साथ काम करने वाला नागरिक है, ऐसा कौन सा डाक्टर या प्रॉफेसर है, जो ईमानदारी के साथ देश और जनता के हित में काम कर रहा था, ऐसा कौन सा व्यापारी है, जो अपना व्यापार ईमानदारी से चला रहा था, ऐसा कौन सा विद्यार्थी है, जो अपने स्कूल या कालेज में डग से पढ़ रहा था और जो तॉड-फोड के काम में नहीं लगा था, जिसको भीसा के अन्तर्गत पकड़ा गया है और जिसकी आजादी छीनी गई है।

अगर निष्पक्ष ढंग से देखा जाये, तो इसका जबाब यह होगा कि जो लोग पकड़े गये हैं, वे सबमुच में तॉड-फोड या तस्करी के काम में लगे थे, जो मिलावट कर के देश के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जो लाखों करोड़ों रुपये देश में बाहर भेज रहे थे, जो करो की चोरी कर रहे थे, जो तरह तरह के नारों से लोगों को भड़का रहे थे। भीसा के अन्तर्गत जिन लोगों की आजादी छीनी गई है, वे वे लोग थे, जो विदेशी ताकतों के हाथों में कठपुतली बन कर हिन्दुस्तान में केश्रास पैदा कर के यहाँ की जम्हूरियत को समाप्त करना चाहते थे।

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 13-8-1976

†Introduced with the recommendation of the President.